

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/132834/GZP/GHAZIPUR/1212/CFO

दिनांक: 28-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SANT RAMNARAYAN SHANKAR SHIV PUBLIC SCHOOL** पता **0, BARUIN, GHAZIPUR** तहसील **ZAMANIA** प्लॉट एरिया **7390.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2319.17 /वर्ग मीटर**),

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक / टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7.83 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SANT RAMNARAYAN SHANKAR SHIV PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **02-10-2024** को भवन स्वामी भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **UPENDRA SINGH bbicbaruin@yahoo.in 8922867009** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभाग श्रेणी **Educational** के अंतर्गत वैधता तिथि **02-10-2024** से **02-10-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में किसनुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SANT RAMNARAYAN SHANKAR SHIV PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SANT RAMNARAYAN SHANKAR SHIV PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : AS PER FSSO REPORT-

- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए।
- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है।
- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, NBC/LOCAL BUILDING BY LAWS/अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 व शासनादेश संख्या 187/छ-पु०-8-2022/905(34)/2016 टी०सी० दिनांक 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक 02-10-2024

स्थान : GHAZIPUR



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

BHARTENDU JOSHI

87BA5A6753AS C9B-12EDD70F8848FJADE72328P8

02-10-2024